NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Prabhat Khabar, Ranchi, 22/01/2026

Page No: 6, Size: 4.79cm × 11.67cm

पुलिस हिरासत में मौत मामले में ₹10 लाख मुआवजा देने का निर्देश

गांधीनगर. पुलिस हिरासत में युवक की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को मृतक के परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस मामले में बोकारो के मानवाधिकार कार्यकर्ता अनूप कुमार द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी थी. 18 जुलाई 2023 को हजारीबाग जिले के बरही थाना में पुलिस हिरासत में रखे गये 22 वर्षीय मो अशफाक खान की मौत हो गयी थी. परिजनों ने आरोप लगाया था कि थाना हाजत में अशफाक के साथ बेरहमी से मारपीट की गयी थी. इसके कारण उसकी हालत बिगड़ गयी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गयी.

Source: https://www.patrika.com/en/churu-news/rajasthan-research-scholar-dies-by-suicide-at-iit-kanpur-jumps-from-phd-apartment-fifth-death-in-a-year-20279785

Rajasthan Research Scholar Dies by Suicide at IIT Kanpur, Jumps from PhD Apartment; Fifth Death in a Year

A suicide at IIT Kanpur has caused a stir. Ramsarup Ishram, a 25-year-old research scholar from Churu, took his own life by jumping from the sixth floor of the PhD apartment. This is the second death in 23 days and the fifth death in 11-12 months.

2 min read

Churu | Patrika Desk | Jan 21, 2026

Churu News: An incident of suicide at IIT Kanpur has once again shaken the institution. On Tuesday, Ramswaroop Ishram, a research scholar from the Department of Earth Sciences, died by suicide by jumping from the sixth floor of the PhD apartment. This is the second suicide at the institute in the last 23 days, and the fifth death reported in the last 11-12 months.

Ramswaroop Ishram, 25, a resident of Girwarsar, Vidhasar, in the Churu district of Rajasthan, was pursuing his PhD in Earth Sciences at IIT Kanpur. He lived with his wife Manju and two-year-old daughter in flat number AA-21 of the SBRA building on the campus. This apartment is allocated to research scholars who are permitted to live with their families.

On Tuesday afternoon, Ramswaroop suddenly came out of his flat and jumped from the balcony in the corridor. While falling, he hit an electric pole and landed on the road. Upon receiving information about the incident, security personnel rushed to the spot and immediately took him to the hospital, but doctors declared him dead.

According to family members and sources associated with the institute, Ramswaroop had been struggling with anxiety for a long time and was undergoing counselling. Despite this, his taking such a step has once again raised questions about IIT's counselling system and mental health support system.

Five Research Scholars Dead So Far

The continuous incidents of suicide at IIT Kanpur have raised concerns about the effectiveness of the institute's student support policies. Five promising students and research scholars have died in the past year.

Although the institute claims that a counselling cell facility is available to help students cope with stress and efforts are being made to reduce academic pressure, the series of incidents does not seem to be stopping.

National Human Rights Commission to Respond

Notably, IIT Kanpur is scheduled to respond to the National Human Rights Commission on January 22 regarding the suicide cases. A suicide case from December has already been included in a writ petition filed in 2024. Preparations are now underway to merge the death of Ramswaroop Ishram into the same writ.

Times of India, Online News, 22/01/2026

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-take-steps-to-fill-vacancies-in-aiims-across-country/articleshow/127037484.cms

NHRC: Take steps to fill vacancies in AIIMS across country

Jan 22, 2026, 06.10 AM IST

Cuttack: National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday took cognisance of a complaint alleging acute shortage of teaching faculty across all AIIMS and directed the concerned authority to take appropriate action within eight weeks.

The complaint was filed by Jeypore-based human rights activist Anuo Kumar Patro, who contended that large-scale vacancies in faculty posts at AIIMS across the country amounted to a violation of Article 21 of the Constitution, which guarantees right to life, including right to health.

Referring to news reports and statements made by the minister of state for health and family welfare in the Lok Sabha, Patro pointed out that nearly 40% of sanctioned faculty posts — around 2,800 positions — are lying vacant in about 20 AIIMS. Even AIIMS New Delhi, considered a premier medical institute, is reportedly functioning with around 35% faculty vacancies.

The situation, the complaint said, is far more severe in newer AIIMS in Rajkot, Madurai and Avantipura, where most of the sanctioned teaching posts are yet to be filled. While vacancies exist in non-teaching posts as well, the complainant stressed that the crisis among teaching faculty is the most critical.

According to the complaint, the shortage has a direct and adverse impact on postgraduate medical education, research output and patient care, thereby undermining public health delivery and constitutional obligation of the state. Patro urged the NHRC to intervene and direct the Union ministry of health and family welfare to take immediate remedial measures to ensure adequate faculty strength at AIIMS across the country.

In its order, NHRC observed that the matter requires examination by the appropriate authority. "The authority concerned is directed to take appropriate action within eight weeks associating the complainant/victim and to inform him/her of the action taken in the matter," the order read.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-seeks-report-on-electrocution-of-kalahandi-woman/articleshow/127037612.cms

NHRC seeks report on electrocution of Kalahandi woman

Jan 22, 2026, 06.26 AM IST

Bhubaneswar: National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday asked the secretary of the state energy department and Kalahandi district magistrate to submit an action taken report regarding the electrocution of a tribal woman last year.

The commission issued the direction after hearing the petition filed by local human rights activist Dillip Kumar Das. The petitioner alleged that Phul Majhi, a 35-year-old widow from Belamba village under Lanjigarh block, was electrocuted on April 16 last year after 132 kV wires snapped and were hanging on a tree she was plucking leaves from.

"This negligence by the power distribution company and energy department officials resulted in her death, leaving her four minor children orphaned and vulnerable," said the NHRC notice, quoting Das's complaint. The complainant sought Rs 30 lakh compensation for her children's welfare and demanded criminal action against the erring officials.

The commission received the complaint on April 17 last year. On Sept 25, NHRC issued notice to the Kalahandi DM and energy department secretary through online mode, to ensure needful action and submit the action taken report within four weeks. However, no report was yet received, NHRC said in its order.

The fresh order asked the officials to submit the report within two weeks, "failing which the Commission shall be constrained to invoke Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993", the order read.

NHRC asked for an additional/complete report in the matter to be sent by Feb 13 for further consideration.

Source: https://www.uniindia.com/brmgsu-leads-human-rights-social-security-meet-for-unorganised-workers/pnn/news/3713566.html

BRMGSU Leads Human Rights & Social Security Meet for Unorganised Workers

Uniindia News Service
Press Releases » PNN | Posted at: Jan 21 2026 1:29 PM

New Delhi [India], January 20: Hooghly witnessed a massive mobilisation of unorganised sector workers as a large-scale conference on Human Rights Awareness and Social Security for Unorganised Sector Workers – 2026 was held at Dunlop Maidan. More than 20,000 workers participated, most of them railway Mall Godam (goods shed) labourers from different districts of West Bengal.

The conference focused on strengthening awareness around labour rights, human dignity, and access to social security for workers outside formal employment structures. It was jointly organised by the Bharatiya Railway Mall Godam Shramik Union (BRMGSU) and the Bharatiya Labour Union, with support from SGT University and Nomo Foundation. The objective was to create a collective platform where workers could better understand labour laws, human rights provisions, and welfare schemes meant for their protection.

BRMGSU Background:

The Bharatiya Railway Mall Godam Shramik Union has been actively working for the welfare and rights of railway goods shed labourers across India. Over the years, the union has consistently raised issues related to job security, minimum wages, occupational health and safety, and social protection for Mall Godam workers, many of whom operate in highly informal and vulnerable conditions. Through sustained advocacy, dialogue with authorities, and grassroots mobilisation, BRMGSU has emerged as a strong and credible voice for unorganised railway labourers.

The programme was inaugurated by Dr. Parimal Kanti Mondal, President of BRMGSU, who highlighted the long-standing challenges faced by unorganised workers, including lack of job security, inadequate wages, limited healthcare facilities, and absence of social protection. He stressed that unity, legal awareness, and organised action are essential to securing dignity and justice for Mall Godam labourers.

The conference was attended by Priyank Kanoongo, Hon'ble Member of the National Human Rights Commission, as Chief Guest. Addressing the gathering, he stated that labour rights are an integral part of human rights. Referring to his recent visits to railway goods sheds across West Bengal, he shared insights from direct interactions with workers and assured that the issues raised would be pursued through appropriate institutional mechanisms.

Sheo Prasad Tiwari, National General Secretary of TUCC, attended as Special Guest and highlighted the importance of collective struggle and strong trade union movements in protecting workers' rights.

Senior officials from the Ministry of Labour addressed the gathering on key enforcement and welfare issues. Anil Jena spoke on labour law enforcement and statutory rights, while Dwipannita Jena highlighted occupational health and safety concerns. Shitangshu Tai elaborated on welfare schemes and social security benefits available to unorganised workers.

Legal perspectives were shared by Sanjay Ghosh and Kobir Ghosh, who stressed the importance of legal awareness and judicial support in strengthening the fight for labour rights.

The conference concluded with a call for sustained unity and organised efforts, led by Indu Sekhar Chakroborty, General Secretary of BRMGSU, reaffirming commitment to the ongoing movement for human rights, social security, and dignity of labour for unorganised sector workers.

If you object to the content of this press release, please notify us at pr.error.rectification@gmail.com. We will

respond and rectify the situation within 24 hours.

Arth Prakash, Online News, 22/01/2026

Source: https://www.arthparkash.com/jagan-mohan-reddy-sided-with-the-salman-family-in-the-legal-battle

जगन मोहन रेड्डी ने सलमान परिवार के साथ कानूनी लड़ाई का साथ

By Sorit Chaudhary -- Wednesday, 21 Jan, 2026

ताडेपल्ली ; : (आंध्रा प्रदेश) 21जनवरी: Jagan Mohan Reddy Sided with the Salman Family: पूर्व मुख्यमंत्र वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने सलमान के बेटों मरियादासु और भिक्षम (प्रवीण), बेटी राहेल और पिन्नेली गांव के लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनके पिता की हत्या राजनीतिक दुश्मनी के कारण हुई और पुलिस की धमकियों और झूठे मामलों ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। वाईएस जगन ने उन्हें न डरने का आश्वासन दिया, पार्टी के लीगल सेल के ज़रिए पूरा कानूनी समर्थन देने का वादा किया, और सरकार के समर्थन से अराजकता फैलने देने के लिए पुलिस की कड़ी निंदा की।

वाईएस जगन ने थेलुकुटला गांव के YSRCP कार्यकर्ता चाल्ला नागराजू से भी मुलाकात की, जिन पर अक्टूबर 2024 में पोलिंग एजेंट के तौर पर काम करने के लिए लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला किया गया था, जिससे वे व्हीलचेयर पर आ गए। नागराजू ने हमले और अपने परिवार के लगातार उत्पीड़न के बारे में बताया। वाईएस जगन ने उन्हें आश्वासन दिया कि पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके परिवार का समर्थन करेगी।

बाद में, सलमान के परिवार के साथ मीडिया से बात करते हुए, पूर्व गुराजला विधायक कासु महेश रेड्डी ने कहा कि YSRCP दलित कार्यकर्ता मंडा सलमान के परिवार के साथ मज़बूती से खड़ी रहेगी और न्याय मिलने तक पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने घोषणा की कि इस रविवार को पिन्नेली में पार्टी के नेतृत्व में एक स्मारक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, और कहा कि YSRCP अदालतों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संपर्क करेगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था चरमरा गई है और सलमान मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाएगा।

महेश रेड्डी ने कहा कि जब से गठबंधन सरकार सत्ता में आई है, पिन्नेली में आतंक का माहौल है, जिससे लगभग 300 परिवार और 1,000 से ज़्यादा लोग भागने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 9,000 लोगों का एक शांतिपूर्ण गांव अब डर का कब्रिस्तान बन गया है, जहां लोगों की आजीविका खत्म हो गई है और यहां तक कि व्यापारी भी रहने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान को लोहे की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला गया, जब वह अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए लौटे थे, और उनके अपने ही गांव में उनके अंतिम संस्कार को रोकने की भी कोशिश की गई। उन्होंने सरकार पर शासन की जगह अराजकता और राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। सलमान के भाई, मंडा अनोजि राव ने बदले की राजनीति खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि नफरत और हत्याओं से विकास नहीं हो सकता और सलमान की हत्या आखिरी होनी चाहिए। उन्होंने सरकार और सीनियर पुलिस अधिकारियों से दखल देने, दोषियों को सज़ा देने और बातचीत के ज़रिए पिन्नेली में शांति बहाल करने की गुज़ारिश की।

Dainik Bhaskar, Online News, 22/01/2026

Source:
https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/bokaro/bermo/news/instructions-given-to-give-compensation-of-rs-10-lakh-137008796.html

10 लाख मुआवजा देने का दिया निर्देश

बेरमो 3 घंटे पहले
बेरमो | पुलिस हिरासत में युवक की मौत से जुड़े एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने झारखंड सरकार को पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश पारित किया है। यह आदेश मानवाधिकार कार्यकर्ता अनूप कुमार (बोकारो) द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर दिया गया है। मामला 18 जुलाई 2023 का है, जब हजारीबाग जिले के बरही थाना क्षेत्र में पुलिस हिरासत में रखे गए 22 वर्षीय मो.असफाक खान की मौत हो गई थी। वह बरही हजारीबाग का निवासी तथा चोरी के शक में उसकी गिरफ्तारी की गई थी। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि थाना हाजत में अशफाक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अशफाक अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने हजारीबाग-धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले की विस्तृत समीक्षा की।

Dainik Bhaskar, Online News, 22/01/2026

Source: https://www.bhaskar.com/amp/local/mp/sagar/news/mp-human-rights-notice-sp-sagar-tikamgarh-transgender-conversion-137002667.html

किन्नर धर्मांतरण आरोपों के मामले में मानवाधिकार आयोग का नोटिस:सागर और टीकमगढ़ एसपी से दो सप्ताह में मामले की जांच कर रिपोर्ट मांगी

सागर 8 घंटे पहले

सागर की किन्नर रानी ठाकुर ने किन्नरों पर धर्मांतरण करने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए सागर और टीकमगढ़ एसपी को नोटिस जारी किया है। जिसमें आयोग ने दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है।

मानव अधिकार आयोग के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ब्रिजवीर सिंह ने पत्र लिखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता रानी ठाकुर जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सदस्य हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथी किरण नायक उर्फ कलीम खान की ओर से पिछले कई सालों से उन पर धर्म बदलने के लिए जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उनके घर के अंदर एक मस्जिद बनाई, उन्हें नमाज पढ़ने, गाय का मांस खाने के लिए मजबूर किया और विरोध करने पर मारपीट की। उन्होंने कहा कि उनके फोन में घटनाओं का एक वीडियो सबूत है। उनकी साथी मोना अहिरवार (राकेश) ने कुंडेश्वर टीकमगढ़ में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली क्योंकि इस्लाम धर्म अपनाने से मना करने पर उन पर हमला किया गया और दबाव डाला गया था।

आयोग से मामले में दखल की मांग की थी

शिकायत करने वाले ने इस मामले में कमीशन से दखल देने की मांग की और मामले में तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन लगते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने इस मामले में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया है।

जिसमें उन्होंने एसपी सागर और टीकमगढ़ को नोटिस जारी करते हुए आरोपों की जांच करने और दो सप्ताह के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं। मप्र बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ओंकार सिंह ने बताया कि किन्नर रानी ठाकुर की शिकायत पर मानव अधिकार आयोग ने मामला संज्ञान में लिया है।

Dainik Bhaskar, Online News, 22/01/2026

Source: https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/azamgarh/tahbarpur/news/tahabarpur-police-arrest-ramesh-prajapati-ranipur-hospital-137004844.html

आजमगढ़ में गोवध मामले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:तहबरपुर पुलिस ने रानीपुर अस्पताल के पास से पकड़ा

वीरेंद्र नाथ मिश्रा | तहबरपुर(आजमगढ़), आजमगढ़ 3 घंटे पहले

आजमगढ़ जिले की तहबरपुर पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त रमेश प्रजापति को 20 जनवरी 2026 को रानीपुर अस्पताल के पास से हिरासत में लिया गया। उसे न्यायालय में पेश किया गया है।

यह मामला 20 अगस्त 2025 को दर्ज किया गया था, जब वरिष्ठ उपनिरीक्षक रवीन्द्र प्रताप यादव और उनकी टीम ने 11 गोवंश (10 जीवित, 1 मृत) और एक डीसीएम ट्रक (रजिस्ट्रेशन नंबर UP 16BT 4267) बरामद किया था। यह घटना 19 अगस्त 2025 की रात करीब 11:10 बजे नैपुरा मोड़, ग्राम नैपुरा के पास हुई थी।

इस संबंध में थाना तहबरपुर में मु0अ0सं0 187/25 धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोहत्या निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और धारा 325 बी.एन.एस. के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उपनिरीक्षक मानचन्द्र यादव द्वारा की गई विवेचना में मोहम्मद अशरफ, नसीम और रमेश प्रजापति के नाम सामने आए थे।

विवेचना के दौरान सामने आए अभियुक्तों में से मोहम्मद अशरफ और नसीम पहले ही न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके थे। रमेश प्रजापति पुत्र निन्हकू, निवासी सरैया रत्नावे, थाना अतरौलिया, आजमगढ़ इस मामले में वांछित चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।

उपनिरीक्षक मानचन्द्र यादव और उनकी टीम ने 20 जनवरी 2026 को शाम करीब 5:15 बजे रमेश प्रजापति (उम्र लगभग 48 वर्ष) को रानीपुर अस्पताल के सामने आजमगढ़ जाने वाले हाईवे पर सड़क किनारे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का पालन किया गया।

Dainik Bhaskar, Online News, 22/01/2026

Source:
https://www.bhaskar.com/amp/local/bihar/saran/chhapra/news/saran-minor-girls-rescued-orchestra-operators-arrested-aawaz-do-campaign-137002293.html

सारण में आर्केस्ट्रा पर पुलिस का छापा:जबरन डांस करा रही 3 नाबालिग लड़कियां मुक्त, 2 संचालक गिरफ्तार, 'आवाज दो' अभियान के तहत रेस्क्यू

छपरा, सारण 10 घंटे पहले
सारण पुलिस ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के शोषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है।
वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के निर्देश पर महिला थाना की टीम ने सोमवार सुबह इसुआपुर और मुफस्सिल थाना क्षेत्रों में संचालित आर्केस्ट्रा पर छापा मारा। इस दौरान तीन नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जबरन डांस कराया जा रहा था यह कार्रवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो के एक पत्र के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आर्केस्ट्रा में नाबालिग लड़कियों को जबरन नृत्य कराने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।
इस सूचना के सत्यापन के बाद महिला थाना की एक टीम गठित की गई, जिसने घेराबंदी कर छापेमारी को अंजाम दिया। छापेमारी के दौरान मुक्त कराई गई तीन नाबालिग लड़कियों में से दो उत्तर प्रदेश की और एक नेपाल की निवासी है।
2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई पुलिस ने मौके से दो आर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया। इस संबंध में महिला थाना में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिट्टू कुमार पिता- पुलिस राय, निवासी बलगरा, थाना मुफस्सिल, जिला सारण और अरकेश कुमार पिता- शिवशंकर, निवासी मोहबली खास, थाना धनघटा, जिला संतकबीर नगर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, वरीय पुलिस अधीक्षक, सारण के नेतृत्व में मई से अब तक जिले में एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत कुल 292 लड़कियों को अनैतिक देह व्यापार से मुक्त कराया जा चुका है। इस अवधि में 37 मामले दर्ज किए गए हैं और 97 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है।
पुलिस 'आवाज दो' अभियान चला रही इस कार्रवाई में महिला थाना, इसुआपुर और मुफस्सिल थाना के अधिकारी और कर्मचारी, प्रभारी एएचटीयू सारण, मिशन मुक्ति फाउंडेशन, नारायणी सेवा संस्थान सारण और रेस्क्यू एंड रिलीफ फाउंडेशन पश्चिम बंगाल के सदस्य शामिल थे।
उल्लेखनीय है कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे शोषण और अपराधों पर रोक लगाने के लिए सारण पुलिस द्वारा 'आवाज दो' अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी महिला के साथ इस तरह का शोषण हो रहा हो या कहीं ऐसी गतिविधियों की जानकारी मिले, तो 'आवाज दो' हेल्पलाइन नंबर 9031600191 पर सूचना देकर पुलिस का सहयोग करें।

Source: https://www.hindektatimes.com/224514/

Azamgarh news :गोवध के मुकदमें में वांछित 01 आरोपी गिरफ्तार

गोवध के मुकदमें में वांछित 01 आरोपी गिरफ्तार
Hind Ekta Times | 37 minutes ago
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना तहबर पुर के व0उ0नि0 श्री रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह व उ0नि0 श्री लोकेशमणि त्रिपाठी मय हमराह द्वारा 11 राशि गोवंश जिसमे से 10 राशि गोवंश जिन्दा व 01 राशि गोवंश मृत व एक अदद डीसीएम रजि0नं0 UP 16BT 4267 बरामद की गयी। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/25 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशुओ के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 325 B.N.S. दिनांक घटना 19.08.2025 समय करीब 23.10 बजे घटना स्थल नैपुरा मोड़ वहद ग्राम नैपुरा व वादी व0उ0नि0 श्री रवीन्द्र प्रताप यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बनाम दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात वफ्तीशी उ0नि0 श्री मानचन्द्र यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत किया गया था।
विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. चालक मो0 अशरफ पुत्र इमरान अहमद निवासी ग्राम कोठिया थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 2. नसीम पुत्र अजीज निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. रमेश प्रजापति पुत्र निन्हकू निवासी ग्राम सरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण 1. मो0 अशरफ पुत्र इमरान अहमद निवासी ग्राम कोठिया थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ 2. नसीम पुत्र अजीज निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा मा0 न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जा चुका है। अभियुक्त रमेश प्रजापति पुत्र निन्हकू निवासी ग्राम सरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी।
दिनांक 20.01.2026 को उ0नि0 श्री मानचन्द्र यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश प्रजापति पुत्र निन्हकू प्रजापति ग्राम सरैया रत्नावे थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष को रानीपुर अस्पताल के सामने आजमगढ़ जाने वाले हाईवे पर सड़क के किनारे से नियमानुसार मा0 सर्वोच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशो व निर्देशो का पालन करते हुए समय करीब 17.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया ।

Source: https://newskranti.com/in-kanpur-lawyers-create-ruckus/

कानपुर में वकीलों का 'हल्ला बोल': पुलिस कमिश्नर दफ्तर घेरा, वकील को हथकड़ी लगाने वाले चौकी इंचार्ज को बर्खास्त करने की मांग

कानपुर के रेलबाजार थाने में अधिवक्ता को हथकड़ी लगाने और 'काले कोट' पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले ने तूल पकड़ा। सैकड़ों वकीलों ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर का घेराव कर दी आंदोलन की चेतावनी।

By admin | January 21, 2026

4 Min Read

ख़बर एक नज़र में :

रेलबाजार पुलिस पर पीड़ित अधिवक्ता को ही प्रताड़ित करने का आरोप।

15 हमलावरों ने अधिवक्ता और उनकी बुजुर्ग मां पर किया था हमला।

पुलिस द्वारा अधिवक्ता को हथकड़ी लगाने और 'काले कोट' पर टिप्पणी से उपजा आक्रोश।

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग ने फिर पकड़ी रफ़्तार।

पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर 24 घंटे का अल्टीमेटम।

कानपुर। औद्योगिक नगरी कानपुर में खाकी और काले कोट के बीच टकराव की स्थिति चरम पर पहुंच गई है। रेलबाजार थाना क्षेत्र में एक अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले और उसके बाद पुलिस द्वारा पीड़ित अधिवक्ता को ही अपराधी की तरह हथकड़ी लगाकर अपमानित करने के मामले ने कानूनी गलियारों में भूचाल ला दिया है। बुधवार को द लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंडित रवीन्द्र शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ 'आर-पार' की कार्रवाई की मांग की।

Contents

विवाद की जड़: सड़क पर दबंगई और खूनी संघर्ष

घटना की शुरुआत 18 जनवरी को हुई, जब अधिवक्ता फैयाज़ अपनी मां के साथ जा रहे थे। रास्ते में बाधा बन रही गाड़ियों को हटाने के अनुरोध पर क्षेत्रीय दबंगों—जीशान और दानिश—ने न केवल अभद्रता की, बल्कि आरोप है कि एक स्थानीय पार्षद के पुत्र के उकसावे पर करीब 15 लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान फैयाज़ का गला दबाया गया और उन्हें बचाने आई उनकी बुजुर्ग मां और भाई को भी बेरहमी से पीटा गया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद है।

थाने में इंसाफ का कत्ल: हथकड़ी और अपमान

अधिवक्ताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में पुलिस की कार्यप्रणाली पर रोंगटे खड़े कर देने वाले आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि जब पीड़ित फैयाज़ रिपोर्ट दर्ज कराने रेलबाजार थाने पहुंचे, तो वहां पहले से मौजूद पार्षद के रसूख के आगे पुलिस नतमस्तक हो गई। पुलिस ने पीड़ित को ही अंदर ले जाकर हथकड़ी लगा दी और जमीन पर बैठा दिया। यही नहीं, चौकी इंचार्ज पर 'काले कोट' को लेकर अत्यंत अपमानजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने दबाव में आकर अधिवक्ता के परिवार के खिलाफ ही 'काउंटर एफआईआर' दर्ज कर दी।

अधिवक्ता समाज की तीन बड़ी मांगें

प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस आयुक्त से स्पष्ट लहजे में कहा कि जब तक निम्नलिखित कदम नहीं उठाए जाते, आंदोलन थमेगा नहीं:

झूठा मुकदमा निरस्त हो: अधिवक्ता और उनके परिवार पर दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे को तुरंत वापस लिया जाए।

चौकी इंचार्ज पर गाज गिरे: अधिवक्ता को हथकड़ी लगाने और अपमानित करने वाले चौकी इंचार्ज को तत्काल बर्खास्त किया जाए।

दबंगों की गिरफ्तारी: सीसीटीवी के आधार पर मुख्य हमलावरों को जेल भेजा जाए।

प्रोटेक्शन एक्ट: उत्तर प्रदेश सरकार से जल्द से जल्द 'अधिवक्ता सुरक्षा कानून' लागू करने की पुरजोर मांग की गई।

राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची शिकायत

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी प्रतिलिपियां भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी गई हैं। पंडित रवीन्द्र शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर त्वरित संज्ञान नहीं लिया गया, तो कानपुर का पूरा अधिवक्ता समाज सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

फिलहाल, पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन शहर के वकीलों का गुस्सा किसी बड़े आंदोलन का संकेत दे रहा है।

Source: https://www.patrika.com/churu-news/rajasthan-churu-research-scholar-dies-by-suicide-at-iit-kanpur-jumps-from-phd-apartment-fifth-death-in-a-year-20279386

राजस्थान के रिसर्च स्कॉलर ने IIT कानपुर में की आत्महत्या, पीएचडी अपार्टमेंट से लगाई छलांग, एक साल में 5वीं मौत

कानपुर स्थित आईआईटी में एक और आत्महत्या से हड़कंप मच गया। चूरू निवासी 25 वर्षीय रिसर्च स्कॉलर रामस्वरूप ईशराम ने पीएचडी अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। 23 दिन में यह दूसरी और 11-12 महीने में 5वीं मौत है।
2 min read
चूरू | Arvind Rao | Jan 21, 2026
Churu News: कानपुर स्थित आईआईटी में एक बार फिर आत्महत्या की घटना ने संस्थान को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार को अर्थ साइंस विभाग के रिसर्च स्कॉलर रामस्वरूप ईशराम ने पीएचडी अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। यह घटना बीते 23 दिनों में संस्थान में हुई दूसरी आत्महत्या है। जबकि पिछले 11-12 महीनों में यह पांचवीं मौत बताई जा रही है।
राजस्थान के चूरू जिले के गिरवरसर, विधासर निवासी 25 वर्षीय रामस्वरूप ईशराम आईआईटी कानपुर में अर्थ साइंस विषय से पीएचडी कर रहे थे। वह पत्नी मंजू और दो साल की बेटी के साथ कैंपस स्थित एसबीआरए बिल्डिंग के फ्लैट नंबर एए-21 में रहते थे। यह अपार्टमेंट उन शोधार्थियों को आवंटित किया जाता है, जिन्हें परिवार के साथ रहने की अनुमति होती है।
बालकनी से लगाई छलांग
मंगलवार दोपहर रामस्वरूप अचानक फ्लैट से बाहर निकले और गलियारे में बनी बालकनी से नीचे छलांग लगा दी। गिरते समय वह एक बिजली के पोल से टकराए और सड़क पर जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिजनों और संस्थान से जुड़े सूत्रों के अनुसार, रामस्वरूप लंबे समय से एंजाइटी की समस्या से जूझ रहे थे। उनकी काउंसिलिंग भी चल रही थी। इसके बावजूद यह कदम उठाए जाने से आईआईटी के काउंसिलिंग सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य सहायता व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।
अब तक पांच शोधार्थियों की मौत
आईआईटी कानपुर में आत्महत्या की लगातार हो रही घटनाओं ने संस्थान की छात्र सहायता नीतियों की प्रभावशीलता पर चिंता बढ़ा दी है। बीते एक साल में पांच होनहार छात्रों और शोधार्थियों की
हालांकि, संस्थान का दावा है कि छात्रों को तनाव से बाहर निकालने के लिए काउंसिलिंग सेल की सुविधा उपलब्ध है और अकादमिक दबाव कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन घटनाओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा।
जवाब देगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
गौरतलब है कि आत्महत्या के मामलों को लेकर आईआईटी कानपुर को 22 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जवाब देना है। दिसंबर में हुई एक आत्महत्या के मामले को पहले ही वर्ष 2024 में दायर रिट में शामिल किया जा चुका है। अब रामस्वरूप ईशराम की मौत को भी उसी रिट में मर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।

Source:
https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/bokaro/instructions-to-compensate-the-deceaseds-family/amp

Bokaro News : पुलिस हिरासत में मौत के मामले में मुआवजा देने का निर्देश

Bokaro News : पुलिस हिरासत में युवक की मौत के एक मामले में 10 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है.
By JANAK SINGH CHOUDHARY | January 22, 2026 12:31 AM
पुलिस हिरासत में युवक की मौत के एक मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड सरकार को मृतक के परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस मामले में बोकारो के मानवाधिकार कार्यकर्ता अनूप कुमार द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी थी. 18 जुलाई 2023 को हजारीबाग जिले के बरही थाना में पुलिस हिरासत में रखे गये 22 वर्षीय मो अशफाक खान की मौत हो गयी थी. परिजनों ने आरोप लगाया था कि थाना हाजत में अशफाक के साथ बेरहमी से मारपीट की गयी थी. इसके कारण उसकी हालत बिगड़ गयी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गयी. आयोग के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार मामले में सब इंस्पेक्टर निरंजन सिंह, राजाराम हांसदा और प्रेम पीटर को लापरवाही और कर्तव्य में चूक के लिए निलंबित किया गया था तथा विभागीय कार्रवाई के बाद छह माह की वेतन वृद्धि रोक दी गयी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Zee News, Online News, 22/01/2026

Source: https://zeenews.india.com/hindi/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/video/ujjain-rto-in-action-mode-4-sleeper-buses-seized-during-checking-fine-of-rs-65000-imposed/3081685

उज्जैन RTO का एक्शन मोड: चेकिंग के दौरान 4 स्लीपर बसें जब्त, 65 हजार का जुर्माना

Ranjana Kahar | Jan 21, 2026, 01:53 PM

Ujjain Video: उज्जैन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्लीपर बसों में यात्रियों के लिए सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू कर रहा है. हाल ही में हुई कार्रवाई में, रोड चेक के दौरान चार स्लीपर बसों को ज़ब्त किया गया और कुल ₹65,000 का जुर्माना लगाया गया. RTO संतोष मालवीय ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार चलाए जा रहे एक खास अभियान के तहत की जा रही है. अब तक उज्जैन ज़िले में कुल 16 स्लीपर बसें ज़ब्त की जा चुकी हैं और लगाए गए जुर्माने की कुल रकम ₹2.65 लाख से ज़्यादा हो गई है.